



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

प्रयोजनमूलक हिंदी : अर्थ, स्वरूप एवं विविध क्षेत्र

डॉ० शिव कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर,

हिंदी-विभाग,

महाराजा अग्रसेन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय,

शोध सारांश : भाषा संप्रेषण का माध्यम है, साधन है। भाषा जगत् के व्यवहार का मूल है। भाषा के सामान्यतः दो पक्ष माने जाते हैं; एक संरचना पक्ष और दूसरा प्रयोग पक्ष। संरचना पक्ष के अंतर्गत भाषा की आंतरिक संरचना का अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान करता है तो विभिन्न संदर्भों एवं प्रयोजनों में प्रयोग किसी भाषा की प्रयोजनमूलक क्षमता का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान का क्षेत्र है। प्रयोग पक्ष में आम बोलचाल, साहित्य एवं प्रयोजनमूलक भाषा मुख्य रूप से माने जा सकते हैं। भाषा केवल वैचारिक संप्रेषण में साहित्यिक भाषा ही नहीं है अपितु उसका सामाजिक उपयोगिता का गुण प्रयोजनमूलक रूप भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषयगत, भूमिकागत और संदर्भगत विशिष्ट कार्य-सिद्धि के लिए व्यवहार-क्षेत्र में प्रयोजनमूलक भाषा की उन्नयन भाषा क्षमता हेतु अनिवार्य है। प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप है जो विशिष्ट भाषिक संरचना एवं शब्दावली से युक्त है। सामाजिक संदर्भों में जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हेतु भाषा-व्यवहार से प्रयुक्त की जाती है। संविधान में हिंदी का राजभाषा का दर्जा मिलने पर अपने सामाजिक दायित्व के अनुरूप इसका प्रयोजनमूलक रूप विविध क्षेत्रों में योगकारी है। प्रशासन, विधि एवं न्याय, जनसंचार एवं पत्रकारिता, विज्ञापन, बैंक एवं बीमा, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोजनमूलक हिंदी का विकास एवं विस्तार युगीन मांग है। इस दिशा में नवीन संभावनाएँ एवं आवश्यकताएँ प्रयोजनमूलक हिंदी को विकास एवं विस्तार दे रही हैं।

बीज शब्द : भाषा, प्रयोजनमूलक हिंदी, सामाजिक संदर्भ, विविध क्षेत्र, प्रशासन, विधि एवं न्याय, जनसंचार माध्यम, वाणिज्य, बैंक, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी।

भाषा संप्रेषण का माध्यम है, साधन है। कार्य—विशेष की सिद्धि के लिए वैचारिक संप्रेषण भाषा का मुख्य प्रयोजन है। भाषा की प्रकृति मूलतः प्रयोजनपरक ही होती है। भाषा—संप्रेषण के मौखिक और लिखित दोनों रूप ही भाव—संप्रेषण में अपना प्रभावी योग रखते हैं। “मनुष्यों” द्वारा प्रयुक्त ‘भाषा’ शब्द उन ध्वनि—समूहों का नियोजन है, जिनसे बने हुए शब्दों के ‘अर्थ’ होते हैं तथा जिनसे निर्मित वाक्यों द्वारा कोई भाव या विचार प्रकट किया जाता है। वह एक ऐसी कला है, जो मौखिक रूप से वाणी द्वारा उच्चरित होकर मनुष्यों के भाव प्रकट करती है तथा लिखित रूप में लिपिबद्ध होकर उन्हें व्यापक बनाने में सहयोगी देती है।¹ अतः भाषा उच्चरित एवं लिपिबद्ध रूप में मानव विचारों के संप्रेषण की कला है, जो भावों को व्यापकता प्रदान करती है। इसका मुख्य प्रयोजन भाव—संप्रेषण है। पं. कामताप्रसाद गुरु के अनुसार “भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। ... जगत का अधिकांश व्यवहार, बोलचाल अथवा लिखी—पढ़ी से चलता है, इसलिए भाषा जगत के व्यवहार का मूल है।”² यहाँ जगत के व्यवहार से अभिप्राय सामाजिक संप्रेषण से ही माना जा सकता है। इस प्रकार, विचार—विनिमय में वाचिक एवं लिखित दोनों रूपों में जीवन के विविध कार्यकलापों में भाषा संप्रेषण का मुख्य साधन है।

भाषा के सामान्यतः दो पक्ष माने जा सकते हैं एक संरचना पक्ष और दूसरा प्रयोग पक्ष। इस विषय में डॉ. भोलानाथ तिवारी का मत है कि “संरचना से आशय है भाषा की आंतरिक संरचना जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ के स्तर पर होती है, और संरचनात्मक भाषाविज्ञान जिसका अध्ययन करता है। प्रयोग से आशय है समाज द्वारा उसका प्रयोग जो विभिन्न सांस्कृतिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा पारिस्थितिक आदि संदर्भों में होता है और जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ की दृष्टि से भाषा को अनेकानेक रूप प्रदान करता है। भाषा के इस पक्ष का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आता है। ... भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण प्रयोजनमूलक होता है — विभिन्न प्रयोजनों के लिए भाषा के प्रयोग तथा उनसे संबद्ध एवं उद्भूत परिवर्तों (Variants) का विश्लेषण और निश्चयन।”³

भाषा के प्रयोग पक्ष के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन प्रयोगगत रूप माने जा सकते हैं — मौखिक संवाद, साहित्यिक एवं प्रयोजनमूलक। यहाँ प्रथम रूप वाचिक कहा जा सकता है तो अन्य दोनों रूप लिखित की श्रेणी में आते हैं। साहित्य भाषा की शक्ति है, उसका विशेष महत्त्व है किंतु समाज में भाषा के व्यावहारिक पक्ष की प्रगति के अभाव में भाषा की क्षमता प्रभावित होती है। इस विषय में डॉ. नगेन्द्र का मत है कि “हम हिंदी की साहित्यिक शिक्षा और उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर बल देते रहे हैं, पर इसके साथ अब हमें हिंदी के व्यावहारिक पक्ष और सामाजिक संदर्भ को भी अपने सामने रखना होगा। भाषा के व्यावहारिक और ललित दोनों ही पक्ष एक—दूसरे के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। जब तक हिंदी की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, उसका समुचित विकास भी नहीं हो सकता।”⁴ अतः हिंदी के व्यावहारिक पक्ष और सामाजिक संदर्भ पर बल देने की

आवश्यकता है। उसके प्रयोग को आवश्यकतानुसार नवीन युगीन मांगों के अनुरूप विकसित करना होगा।

प्रयोजनमूलक हिंदी : अर्थ एवं स्वरूप

प्रयोजनमूलक शब्द 'प्रयोजन' शब्द और 'मूलक' उपसर्ग के योग से बना है। प्रयोजन का शब्दकोशीय अर्थ है "1. उपयोग, प्रयोग, व्यवहार, 2. अभिप्राय, मतलब, 3. साधन, उपाय, 4 हेतु 5. लाभ।"⁵ यहाँ भाषा के संदर्भ में उसका अर्थ उपयोग, प्रयोग या व्यवहार माना जा सकता है। 'मूलक' उपसर्ग से आशय है 'आधारित'। इस रूप में हम प्रयोजनमूलक शब्द को उपयोग आधारित, प्रयोग आधारित या व्यवहार आधारित मान सकते हैं। यह भाषा उपयोग, प्रयोग या व्यवहार विशिष्ट प्रयोजन पर आधारित होता है। अतः प्रयोजनमूलक भाषा से अभिप्राय विशिष्ट प्रयोजन की भाषा माना जाता है। इस रूप में प्रयोजनमूलक हिंदी को विशिष्ट प्रयोजन का भाषा-रूप मान सकते हैं।

अंग्रेजी में 'प्रयोजनमूलक' शब्द का पर्याय 'Functional' प्रयुक्त होता है। शब्दकोश के अनुसार Functional का अर्थ कार्यात्मक, वृत्तिमूलक, क्रियात्मक, क्रियाशील, क्रियागत, फलनक मिलता है।⁶ इस दृष्टि से 'प्रयोजनमूलक हिंदी' के लिए 'Functional Hindi' का प्रयोग किया जाता है।

डॉ. मोटूरि सत्यनारायण ने 'Functional Hindi' के लिए 'प्रयोजनमूलक हिंदी' शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार "जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लायी जाने वाली हिंदी ही 'प्रयोजनमूलक हिंदी' है। भाषा-व्यवहार का पक्ष ही भाषा का प्रयोजनमूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा-माध्यम के रूप में सामने आते हैं।"⁷

यहाँ जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विविध रूपों को सेवा-माध्यमों में अपनाना, भाषा के व्यवहार-पक्ष एवं सामाजिक आवश्यकता को दिखलाता है। साथ ही आजीविका से भी संबद्ध है।

प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। डॉ. गोपाल शर्मा के अनुसार "सामान्यतः हम उस हिंदी को प्रयोजन-मूलक मानते हैं जिसका उपयोग हम सरकारी पत्राचार, संपादकीय या पत्रकारिता तथा संचार के विभिन्न माध्यमों में करते हैं।"⁸ अतः भाषा न केवल वैचारिक संप्रेषण का साधन है अपितु उसका सामाजिक उपयोगिता का गुण एक प्रयोजनमूलक रूप भी महत्वपूर्ण है। हमें भाषा को साहित्यिक रूप में ही नहीं बल्कि व्यावहारिक दृष्टि से भी व्यवहार एवं प्रयोजन में भी उन्नत रूप में अपानने की अनिवार्यता है।" प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है, हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्राद्योगिकी के अनेकाविध क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है।⁹ यहाँ प्रयोजनमूलक भाषा के स्वरूप को प्रयुक्तिपरक मानते हुए विविध क्षेत्रों में उसे समर्थ बनाने पर बल दिया गया है।

26 जनवरी, 1950 में काम-काज हेतु देवनागरी लिखित हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। "सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है या सरकार अपने विभिन्न प्रयोजनों के लिए जिस भाषा के प्रयोग को मान्यता प्रदान करती है, वह राजभाषा कहलाती है।"¹⁰ संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिलने पर उसके व्यवहार-क्षेत्र एवं सामाजिक दायित्व का विस्तार स्वाभाविक था जिसके फलस्वरूप अब हिंदी भाषा केवल साहित्य-सर्जन की भाषा ही नहीं बल्कि जीवन-व्यवहार के विविध क्षेत्रों की भाषा के रूप में अपना योग रखती है।

हिंदी भाषा सामाजिक संप्रेषण का माध्यम होते हुए राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा की अपनी दायित्वपूर्ण भूमिका के चुनौतीपूर्ण स्थिति में रूप में सामने आई। हिंदी भाषा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम बनी। जीविकोपार्जन, सेवा-माध्यम के रूप में इसका प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा रूप सामाजिक संप्रेषण का साधन बना। वर्तमान समय में हिंदी भाषा और उसके प्रयोजन के विषय में प्रो. पूरनचंद टण्डन का मानना है कि "आधुनिक युग में भाषा के विविध प्रयोजन होते हैं। विकसित भाषाएँ समाज के सामान्य संप्रेषण और साहित्य के निर्माण तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में भी काम आती हैं। इन विविध क्षेत्रों को ही हम भाषा का प्रयोजनमूलक पक्ष कहते हैं।"¹¹ हम विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हेतु इस विशिष्ट शब्दावली को अर्जन और अभ्यास से सायास अर्जित करते हैं। इस कारण प्रयोजनमूलक भाषा की प्रकृति एवं संरचना की विशेषताएँ उसके विशिष्ट प्रयोजनसिद्धि में योगकारी होती हैं।

प्रयोजनमूलक भाषा की प्रकृति और संरचना के विषय पर विचार करें तो इसकी प्रकृति औपचारिक होती है जिसके फलस्वरूप वाक्य संरचनाएँ रुढ़ बन जाती हैं। इसमें निवैयक्तता का गुण होता है। भले ही वाक्यों से प्रयोक्ता के पद एवं स्थिति का आभास होता है परंतु व्यक्तिगत रूप से इसमें संवाद नहीं होता। प्रयोजनमूलक भाषा संदर्भ-सापेक्ष होती है। उसके अर्थ सुनिश्चित होते हैं। अनुचित संदर्भों की गुजांइश नहीं होती। इस भाषा की प्रकृति सूचनापरक और तथ्यात्मक होती है। सूचना एवं तथ्य पूर्णता स्पष्ट होते हैं उसमें द्विअर्थी अनेकार्थी भाषा-प्रयोग नहीं होता न ही भाषिक लचीलापन मान्य होता। भाषा लचीलापन संदिग्धता का कारण बनता है जो प्रयोजन को बाधित करता है। सर्वनामों की दृष्टि से सदैव आप सर्वनाम एकवचनकर्त्ता के रूप में प्रयोग होता है।

प्रयोजनमूलक भाषा में केवल अभिधात्मक प्रयोग ही स्वीकार्य है। इसी कारण यह साहित्यिक भाषा की लक्षणा, व्यंजना प्रयोग से परे होती है। इस भाषा में विचाराधीन विषय की क्रमिक प्रस्तुति देते हुए मूल तथ्यों का संक्षिप्त-विवरण दिया जाता है। प्रयोजनमूलक भाषा पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दावली से युक्त होती है। भाषा के मानकीकृत रूप का प्रयोग ही मान्य है ताकि सुनिश्चित अर्थ संप्रेषित हो।

भारतीय भाषाओं के साथ अखिल भारतीय भाषा के रूप में हिंदी के विकास एवं विस्तार को आवश्यक मानते हुए विविध क्षेत्रों में सामाजिक संप्रेषण का माध्यम बनाया गया। इस दृष्टि से हिंदी भाषाओं के व्यवहार-सीमाओं का विस्तार हुआ। "हिंदी अब लोक-व्यवहार की सीमाओं से बढ़कर,

विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा कार्यालयी स्तरों पर भी अपनी प्रयोजनमूलकता प्रतिपादित करने के दायित्व-निर्वाह की ओर अग्रसर है। इस दायित्व-निर्वाह का निकष है – उसके संरचना-सामर्थ्य का अनुप्रयोगात्मक कार्यान्वयन।¹² वर्तमान समय में हिंदी केवल साहित्य एवं संप्रेषण की भाषा ही नहीं अपितु जीवन-व्यवहार एवं ज्ञान-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में विविध क्षेत्रों में विद्यमान है, निरंतर अपना योग दे रही है।

प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध क्षेत्र

शासन-प्रशासन क्षेत्र में हिंदी : शासन-प्रशासन एवं कार्यालयों में प्रयुक्त काम-काज की भाषा को राजभाषा कहलाती है। कार्यालय पत्र व्यवहार के फलस्वरूप इसे कार्यालयी हिंदी भी कहा जाता है। सरकारी, अर्ध-सरकारी एवं निजी कार्यालयों में सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर कार्यालयी काम-काज में हिंदी का प्रयोग प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में किया जा रहा है। आवेदन-पत्र, प्रतिवेदन, शासकीय पत्र, शासनादेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अनुस्मारक, पृष्ठांकन, प्रेस-विज्ञप्ति, अधिसूचना, निविदा, विज्ञापन, कार्यालय आदेश, टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण, कार्यवृत्त, प्रस्ताव आदि में हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में हो रहा है। शासन-प्रशासन में प्रयुक्त होने के कारण इसे प्रशासनिक हिंदी भी कहा जाता है। कार्य एवं प्रयोजन भेद के कारण प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न प्रयुक्त शैली-भेदों का इसमें प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट प्रयुक्त, पारिभाषिक शब्दावली का चयन किया जाता है। प्रयुक्त वाक्य संरचना, कथन-शैली एवं शब्दावली पर आधारित होती है। शासन-प्रशासन में प्रयुक्त हिंदी में प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रायः सभी विशेषताएँ निहित होना आवश्यक एवं अनिवार्य होता है। उसका शब्दावली स्तर एक संप्रेषण स्तर अखिल भारतीय हो, अल्प प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग न हो, वह संक्षिप्त सुबोध और सटीक हो।

विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी : भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद एवं नियम-अधिनियम विधि एवं न्याय क्षेत्र के अंग हैं। विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका कार्यान्वयन नियम और विधायी कार्य विधि एवं न्याय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। संविधान के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन, विधि की हिंदी का विकास, समस्त अधिनियमों को हिंदी में पुनः अधिनियमित करना, विधि की पारिभाषिक शब्दावली का विकास आदि महत्त्वपूर्ण कार्यों की दिशा में हिंदी की प्रयोजनमूलकता में वृद्धि हुई है। राजभाषा अधिनियम के आधार पर हिंदी पाठों को प्राधिकृत पाठ माना जा रहा है। प्रयुक्त एवं पारिभाषिक शब्दावली स्तर पर भी विधि एवं न्याय क्षेत्र में हिंदी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। हिंदी माध्यम से विधि-शिक्षा, न्यायालयों में हिंदी प्रयोग हो रहा है, उसमें गति लाने की आवश्यकता अवश्य है।

जनसंचार एवं पत्रकारिता माध्यम क्षेत्र में हिंदी : इक्कीसवीं सदी जनसंचार का युग है। विभिन्न जनसंचार माध्यमों ने राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर एकमंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में जनसंचार माध्यमों का प्रभाव देखने को मिलता है। विभिन्न संचार माध्यम समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, विज्ञापन, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, टेलीफोन, मोबाईल फोन, सोशल

मीडिया आदि से संचार क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति आयी है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक घटनाओं, सूचनाओं का विश्व में कुछ क्षणों में प्रसारण हो जाता है। ऐसी स्थिति में भाषा-माध्यम की विशेष भूमिका है। प्रयोजनमूलक हिंदी जनसंचार माध्यमों में अपनी पैठ बना रही है। भाषा माध्यम, भाषा एवं बौद्धिक स्तर का अंतर एवं विषय-क्षेत्र की विशेषज्ञता का ध्यान रखा जा रहा है। विभिन्न विषयों एवं विधाओं के वर्गीकरण के साथ समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, समाचार एजेंसियाँ हिंदी में विद्यमान हैं। पी.टी.आई., भाषा, यूनीवार्ता की हिंदी प्रयोजनमूलकता, इसका प्रमाण है। विश्व घटनाक्रम की हिंदी भाषा प्रस्तुति प्रयोजनमूलक हिंदी के विकास का उन्नत आयाम है। पत्र, पत्रिका, समाचारों एवं सूचना की भाषा, वाक्य संरचना, शीर्षक, प्रभावी प्रस्तुतीकरण, संपादन आदि में उचित प्रयुक्ति एवं शब्दावली के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी को अपनाकर हिंदी जनमानस में जागरूकता का संचार किया जा रहा है।

विज्ञापन क्षेत्र में हिंदी : आधुनिक युग विज्ञापन युग है। दैनिक जीवन में हमारे आस-पास एवं जनसंचार माध्यमों में विज्ञापन की भरमार है। हमें चाहे-अनचाहे विज्ञापनों से रूबरू होना ही पड़ता है। विभिन्न क्षेत्रों संबंधी वर्गीकृत विज्ञापन हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विज्ञापन जनसंचार साधनों की आय का स्रोत हैं। औद्योगीकरण, बाजारवाद, व्यापार प्रतिस्पर्धा के चलते सरकारी एवं व्यापारिक विज्ञापन अपनी महत्ता रखते हैं। विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग हिंदी भाषियों के बहुत बड़े वर्ग के लिए उत्पादकों की विवशता और उपभोक्ता वर्ग की मांग है। हिंदी के विज्ञापन, कहीं-कहीं रोमनलिपि के साथ बहुत बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। विज्ञापन-कला के अनुसार उनकी भाषा कलात्मक एवं ग्राहक लुभावन शब्दावली से युक्त होती है। विज्ञापन के विशिष्ट प्रयोजन के फलस्वरूप प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग विज्ञापन जगत् में फलीभूत हो रहा है।

बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी : किसी भी व्यवसाय, उद्योग में बैंकों की योगकारी भूमिका होती है। राजभाषा नियम के अंतर्गत सन् 1976 ई. में भारत सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता का आदेश पारित किया। बैंकों के कामकाज में आंतरिक पत्राचार एवं ग्राहकों संबंधी पत्राचार में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग हो रहा है। पदों की स्थापना, बैंक कर्मचारी के वेतन, छुट्टी, स्थानांतरण, केंद्रीय अथवा प्रधान कार्यालयों से पत्राचार आदि कार्यों में हिंदी-प्रयोग होने के साथ ग्राहकों, कंपनियों के साथ व्यवहार में हिंदी भाषा को अपनाया जाता है। अपने खाताधारियों को खाता खोलने, जमापर्ची, भुगतान, चैक, बैंक ड्राफ्ट एवं ऋण संबंधी सुविधाओं हेतु विभिन्न फार्मों में हिंदी का प्रयोग करना होता है। राजभाषा-नीति के चलते बैंकों में प्रयुक्त प्रयोजनमूलक हिंदी में निरंतर सुधार एवं प्रयोग हो रहा है।

वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी : वैज्ञानिक प्रगति के चलते औद्योगिक केंद्रों का विस्तार बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रह गया है। आज हम वाणिज्य-केंद्रों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्यालय एवं कारखाने समस्त देश में देख सकते हैं। वाणिज्य क्षेत्र में काम करने वाले एवं वाणिज्य से संबंधित मंत्रालय हिंदी प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग वाणिज्य शब्दावली निर्माण कर नवीन अनुसंधान में रत है। वाणिज्यिक कार्यों में सूचनाओं,

नियमावलियों, निर्देशों, पद, विभाग एवं पद पट्टिकाओं में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। रेलवे, यातायात, रक्षा, पेट्रोलियम, कृषि, उद्योग, पर्यटन आदि सभी मंत्रालयों में हिंदी प्रयोग देखा जा सकता है।

विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हिंदी : वैज्ञानिक प्रगति तकनीकी और प्रौद्योगिकी की प्रगति से संबद्ध है। विज्ञान और तकनीकी परस्पर पूरक है। वैज्ञानिक सिद्धांत ही तकनीकी के जनक हैं। विज्ञान की भाषा अत्यंत गतिशील, नवीन आविष्कारक शब्दावली से युक्त होती है। यह क्षेत्र हिंदी भाषा की प्रयोजनमूलक प्रयुक्ति के लिए विस्तार की संभावनाएँ रखता है। यह क्षेत्रों की अपेक्षा यह नया क्षेत्र है। 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी संबंधी शब्दावली का निर्माण एवं निर्धारण किया है तथा उसे अद्यतन रूप दिया जा रहा है। हिंदी में भी विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लेखन कार्य प्रगति पर है। विज्ञान विषय की भाषा में अभिधामूलकता, निश्चित अर्थवत्ता, वस्तुनिष्ठता एवं कथन मात्र से सूचना संप्रेषण निहित होता है। विज्ञान विषयों की पाठ्यपुस्तकों का हिंदी में लेखन कार्य हो रहा है ताकि उच्च शिक्षा का माध्यम भी हिंदी हो।

वर्तमान युग सूचना, संचार और विचार का है। सूचना एवं संचार के उपकरणों पर हिंदी-भाषा सफल उपयोग हो रहा है। हिंदी के अनेक सॉफ्टवेयर, अनेक हिंदी फॉन्ट्स बाज़ार में उपलब्ध हैं। आज हिंदी भाषा को विज्ञान, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध दैनिक जीवन-व्यवहार के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है। प्रयोजनमूलक हिंदी तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रगति की ओर अग्रसर हैं यद्यपि इसमें हिंदी-भाषा प्रयोग की अपार संभावनाएँ हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी अपनी लोकप्रियता को प्रयोजनीयता में ढालने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में उत्तरोत्तर अग्रसर है। अद्यतन कार्य-व्यवहार क्षेत्रों में अपना भाषायी सामर्थ्य एवं प्रयोजनमूलकता सिद्ध कर उसका विस्तार कर रही है। आज हिंदी भाषा भारत में ही नहीं विश्व के विभिन्न क्रिया-व्यापारों एवं व्यवहारों में अपना स्थान बना पा रही है। इस दिशा में नवीन संभावनाएँ एवं आवश्यकताएँ बनी हुई हैं। सरकारी, अर्धसरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाएँ प्रयोजनमूलक हिंदी की विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी एवं उपयोगी पहचान की दिशा एवं विकास में प्रयासरत हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विधायी आयोग, राजभाषा कार्यान्वयन समिति आदि का इसमें सक्रिय एवं रचनात्मक योगदान रहा है। विशेषज्ञता और व्यावहारिकता दोनों के संतुलन द्वारा ही प्रयोजनमूलक हिंदी के लक्ष्य प्रयोजनीयता की सिद्धि संभव है।

संदर्भ-ग्रंथ-सूची

- 1 व्यावहारिक हिंदी व्याकरण, डॉ. वेंकट शर्मा, अरहन्त प्रकाशन, जोधपुर, प्रथम संस्करण-2016, पृष्ठ-16
- 2 हिंदी व्याकरण, पं. कामताप्रसाद गुरु, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ-17 (प्रस्तावना)
- 3 प्रयोजनमूलक हिंदी – संपा. डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, द्वितीय संस्करण, सं. 1987 (डॉ. भोलानाथ तिवारी जी के लेख से)
- 4 वही, पृष्ठ-76 केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा नई दिल्ली में अप्रैल 1974 में समापन सत्र में डॉ. नगेन्द्र के वक्तव्य से
- 5 हिंदी शब्द कोश, डॉ. हरदेव बाहरी, राजपाल एंड संस, दिल्ली, सं. 2009, पृष्ठ-542
- 6 अंग्रेजी हिंदी कोश, फादर कामिल बल्के, एस. चाँद एण्ड कंपनी लि. नई दिल्ली, सं. 2003, पृष्ठ-203
- 7 प्रयोजनमूलक हिंदी, संपा. डॉ. रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, द्वितीय संस्करण 1987, पृष्ठ- 21 (चर्चा-परिचर्चा से)
- 8 राजभाषा हिंदी : विचार और विश्लेषण, डॉ. गोपाल शर्मा, अविराम प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2008, पृष्ठ-69
- 9 प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धांत और प्रयोग, डॉ. दंगल झाल्टे, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली, तृतीय संस्करण, पृष्ठ-40
- 10 प्रयोजनमूलक हिंदी : सिद्धांत और व्यवहार, रघुनंदन प्रसाद शर्मा, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम संस्करण 1992, (दो शब्द-भूमिका से)
- 11 हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी और अनुवाद, डॉ. पूरनचंद टंडन, किताबघर, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण 2022, पृष्ठ-19
- 12 प्रयोजनमूलक हिंदी, संरचना एवं अनुप्रयोग, डॉ. रामप्रकाश, डॉ. दिनेश गुप्त, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 1997 (भूमिका-दृष्टिकोण से)

